रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1993/माघ 8, 1914
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1993/MAGHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1993

का. आ. 80(अ)—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है

और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावित निदेशों के विरुद्ध कोई आक्षेप फाईल करने में हितबद्ध है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन सी जी ओ काम्पलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को लिखित रूप में ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

अत्यधिक मृदा कटाव और कतिपय विकासात्मक क्रियाकलापों के कारण जल और वायु प्रदूषण से पर्यावरण की अवनति के कारण पर्याप्त प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कारित हुआ है, जिससे न केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे वनों, कच्छ, वनस्पतियों, आर्द्र भूमि, नदियों, झीलों, जैसी पूल आरक्षितियों और वनस्पति सुरक्षा के विनाश को संकट पैदा हुआ है, जो देश के बड़े भागों में तेजी से महत्व खो रहे हैं, बल्कि उससे जीव मात्र पशु और मानव दोनों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर भी प्रभाव पड़ रहा है,

और यह आवश्यक है कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीव समुदाय के दबाव के साथ हुआ वायु, जल और मृदा के प्रदूषण पर जो इतना गहरा है कि हमारे प्राकृतिक, जैविक और आनुवंशिक सम्पत्ति को गंभीर खतरा हो गया है नियंत्रण करके पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और उसकी क्वालिटी का सुधार किया जाए

और कतिपय विकास परियोजना प्रतिध्वनि पद्धति से परिभाषित दूरियों से परे न्यायसंगत अवस्थिति में प्रतिध्वनि पद्धति की वहन

क्षमता के भीतर चलाई जानी चाहिए, जो अन्यथा प्रतिबल के अधीन जाएगी, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक कार्य-कलाप पर्यावरण और उसके विकास के साथ तालमेल रखते हुए किए जाते हैं।

और पूर्वोक्त उद्देश्यों को, परियोजनाओं की प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रतिकूल प्रभाव के निवारण, निष्कासन या शमन के लिए प्रत्येक परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण और आवश्यक पर्यावरण प्रबन्ध योजना के आधार पर किसी क्षेत्र में अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना के गहन निर्धारण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

और प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः ; अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशित करती है कि अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या नई परियोजना का विस्तारण या आधुनिकीकरण भारत के किसी भी भाग में हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो।

2. अनुसूची 2 में दी गई तथा रिजर्व अथवा सुरक्षित वनों की सीमा के 5 (पांच) किलोमीटर के भीतर अथवा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र, अथवा औद्योगिक नीति विवरण में अथवा मानव आवासों या वन्यजीव आवासी-स्थलों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के अन्य नीति विवरणों में निर्धारित सुरक्षित दूरी के भीतर बनाए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

3. अनुसूची 1 और 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना को दी गई पर्यावरणीय अनापत्ति का पुनर्विलोकन कर सकेगा, यदि प्रभावित पक्षकारों द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनाया गया है। ऐसे सभी मामलों में वह मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पुनर्विलोकन समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें एक प्रतिनिधि इस मंत्रालय से, एक प्रतिनिधि संबंधित राज्य सरकार से और अधिकतम तीन विशेषज्ञ परियोजना के संबंधित क्षेत्रों से होंगे। पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष और सदस्य पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । समिति प्रभाव निर्धारण अभिकरण के लिए अनुबद्ध समय अनुसूची के भीतर अपना कार्य पूर्ण करेगी।

4. परियोजना की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षाएं और प्रक्रिया :

I (क) कोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना को अथवा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तारण या आधुनिकीकरण का हाथ में लेना चाहता है, सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को जहां पर्यावरण संबंधी अनापत्ति केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है, या संबंधित राज्य सरकार के पर्यावरण सचिव को जहां राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति अपेक्षित है, एक आवेदन भेजेगा। यह आवेदन इस अधिसूचना से संलग्न प्रोफार्मा (उपाबंध) में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबन्ध योजना होगी।

(ख) अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त आंकड़े और कार्रवाई योजना के प्रस्तुत किए जाने के कारण राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए मामलों का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब भी उन्हें पूर्ण आंकड़ों और कार्रवाई योजना के साथ प्रस्तुत किया जाता है । दूसरी बार अपूर्ण आंकड़ों का प्रस्तुत किया जाना स्वयं ही प्रभाव निर्धारण अभिकरण के लिए मामले को संक्षेपतः अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण होगा।

II. निम्नलिखित स्थल विनिर्दिष्ट परियोजनाओं की दशा में

(क) खनन ;

(ख) पिट हैड उष्मीय-शक्ति केन्द्र ;

(ग) हाईड्रो-जल विद्युत शक्ति परियोजना ;

(घ) बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ; और

(ङ) पत्तन तथा बंदरगाह।

परियोजना प्राधिकारी कोई जांच अथवा सर्वेक्षण शुरू करते समय इस बात के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार को परियोजना स्थल के स्थान के बारे में सूचित करेंगे कि परियोजना क्रमशः अनुसूची 1 अथवा अनुसूची 2 में आती है। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य में संबंधित एजेंसी प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के बारे में अधिकतम 3 माह की अवधि के भीतर अपना निर्णय संसूचित कर देगी।

उक्त स्थल संबंधी अनापत्ति मंजूर की गई क्षमता के लिए अनुदत्त की जाएगी और सन्निर्माण प्रारम्भ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

III (क). आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा।

प्रभाव निर्धारण अभिकरण संघ का पर्यावरण और वन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार के मामले में पर्यावरण विभाग और/या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। ऊपर वर्णित विशेषज्ञ समिति का गठन संबंधित प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संक्रियाओं के प्रारम्भ से पूर्व, उनके दौरान या उनके पश्चात् किसी समय, यथास्थिति, स्थल या कारखाना परिसरों में प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ग) प्रभाव निर्धारण अभिकरण दस्तावेजों और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी निर्धारण के दिए गए आंकड़ों जो स्थलों अथवा कारखानों में की गई यात्राओं के दौरान संग्रहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित हों और प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण संबंधी समूहों की सुनवाई किए पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा। ब्यौरेवार साध्यता रिपोर्ट पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना सिफारिशें और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए पर्यावरणीय अनापत्ति दी गई है, संबंधित पक्षकारों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जनता के विचार इस परियोजना के लिए व्यवस्थित लोक सुनवाइयों में, ऐसी सुनवाई की कम से कम दो समाचारपत्रों में एक मास की सूचना देने के पश्चात् मांगे जा सकेंगे। जनता की अभिकरण मुख्यालयों में उपलब्ध परियोजना रिपोर्टों और पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं तक पहुंच के लिए व्यवस्था की जाएगी। निर्धारण अपेक्षित दस्तावेजों और परियोजना प्राधिकारियों से आंकड़ों की

प्राप्ति पर तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और विनिश्चय उसके पश्चात् प्राधिकरण तीस दिन के भीतर सूचित कर दिया जाएगा। परियोजना के स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रारम्भिक कार्य या अन्यथा कार्य पर्यावरणीय स्थल अनापत्ति प्राप्त किए जाने तक हाथ में नहीं लिया जा सकेगा।

IV—संबंधित प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन और उन शर्तों को, प्रभावी रूप से जिनके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, मानिटर करने के लिए संबंधित परियोजना प्राधिकारी संबंधित प्राधिकरण को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण अनुपालन रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाएगा।

5. वास्तविक आंकड़ों को छिपाना या मिथ्या भ्रामक आंकड़ों/रिपोर्टों, निष्कर्षों या सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने से परियोजना अस्वीकार हो जाएगा। अनुमोदन भी, यदि मिथ्या आंकड़ों के आधार पर प्रदान किया गया हो तो प्रतिसंहृत हो जाएगा। भ्रामक और गलत जानकारी के अन्तर्गत निम्नलिखित आएंगे;

—मिथ्या जानकारी
—मिथ्या आंकड़े
—बनाई गई रिपोर्टें
—वास्तविक आंकड़ों का छिपाना
—मिथ्या सिफारिशें या विनिश्चय।

सं. जेड-12018/4/89 आई ए I]

आर. राजमणि, सचिव (ई एण्ड एफ)

अनुसूची-I

(पैरा 1 और 4 देखिए)

केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं की सूची

1. न्यूक्लीयर पावर और सबंधित परियोजनाएं जैसे भारी जल संयंत्र, नाभिकीय ईंधन परिसर, रेअर अर्थस इत्यादि।
2. बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं।
3. पत्तन, बन्दरगाह और विमानपत्तन।
4. भूमिगत रेलवे सहित रेलवे लाइन (गैर रेल भूमि के अधिग्रहण सहित)।
5. पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण जिसमें अपरिष्कृत तथा उत्पाद पाइप लाइन और पेट्रोलियम रिफाइनरीज।
6. एकल सुपरफास्फेट के अलावा रासायनिक उर्वरक (नाइट्रोजिनूस और फास्फेटिक)।
7. नाशीजीव (तकनीकी)
8. पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स (ओलेफिनिक और एरोमेटिक दोनों), और पेट्रोकेमिकल इन्टरमीडिएट्स जैसे डी एम टी कैप्रोलेक्टम लैब इत्यादि तथा बेसिक प्लास्टिक का उत्पादन जैसे एल एल डी पी ई, एच पी डी ई, पी पी, पी वी सी, इत्यादि।
9. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टीफ्यूज, गन पाउडर नाइट्रोसेलूलोस, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स सहित औद्योगिक विस्फोटक।
10. औषध और फार्मास्युटिकल्स (जरूरी और अधिक)।
11. तेल और गैस की खोज तथा उनका उत्पादन, परिवहन और भंडारण।
12. सिन्थेटिक रबर।
13. एस्बेस्टोस और एस्बेस्टास उत्पाद।
14. हाइड्रोसाइएनिक एसिड और उनकी ब्युत्पत्तिस
15. प्राथमिक धातुकर्मविज्ञानी उद्योग (जैसे लौह और इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता, सीसा और फेरोएलायस का उत्पादन।
16. बसों, ट्रकों, वायुयानों, जीपों, मोटर कारों, ट्रैक्टरों तथा सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में प्रयुक्त रबड़ के न्यूमेटिक टायर्स और ट्यूब्स।
17. क्लोर एल्काली उद्योग।
18. पेंट्स के विनिर्माण में काम आने वाली जरूरी कच्ची सामग्री और रेसिन के विनिर्माण सहित समेकित पेंट काम्पलेक्स।
19. मानव द्वारा निर्मित रेशा/फिलामेंट यार्न।
20. सीसा और सीसा एन्टीमनी एलाय के आक्साइडों के विनिर्माण के साथ समेकित स्टोरेज बैटरियां।
21. क्लोरिनेटिड हाइड्रोकार्बन और परिसंकटमय पदार्थों के लिए भस्मीकरण संयंत्र।
22. समुद्र की उच्च जल रेखा के 200 मीटर तथा 500 मीटर के बीच पर्यटन और अन्य परियोजनाएं।
23. स्थान से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित वाणिज्यिक वानिकी और वन आधारित उद्योग।
24. ऊपर अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक मापदंड के साथ सभी परियोजनाएं।

अनुसूची-II

(पैरा 2, 3 और 4 देखिए)

राज्य सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना/उद्योग का नाम	प्रारम्भिक मापदंड (यदि कोई हो) जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। क्षमता/क्षेत्र/लम्बाई इत्यादि
1	2	3
1.	ब्रिकेटिंग	सभी
2.	कोल वाशरीज	"
3.	सिरेमिक प्रोडक्ट्स	"
4.	कैल्शियम कार्बाइड	"
5	कार्बन ब्लैक	"
6.	कोल तार कैमिकल्स	"
7	इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गलवेनाइजिंग	"
8.	ग्लास एंड ग्लासवेयर्स	"
9.	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स	"
10.	इंजिनियरिंग (ट्यूबिंग्स, कास्टिंग्स, रोलिंग मिल्स)	"
11.	रिफेक्टरीज	"

1	2	3
12	पाइप्स (आरसीसी, स्टील और सीमलेस)	सभी
13.	रिप्रोसेसिंग आफ लुब्रिकेटिंग आयल्स	"
14.	स्टोरेज बैटरीज (नान लैड प्रोसेसिंग)	"
15.	एल्कलीज (सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बोनेट)	"
16.	मोटर साइकिलों, स्कूटरों, मोपेडों, साइकिलों और साइकिल रिक्शों में प्रयुक्त होने वाले रबड़ के न्यूमेटिक टायर्स और ट्यूब्स	"
17.	सभी प्रकार के टायरों की रिट्रिडिंग (कोल्ड प्रोसेसिंग के अतिरिक्त)	"
18.	पेंट्स, पिगमेंट्स और वार्निशिज	"
19.	खाद्य प्रसंस्करण (मांस और समुद्री जीवों का प्रसंस्करण)	"
20.	दुग्ध उत्पाद (स्किम्ड दूध, कन्डेंस्ड दूध, दुग्ध पाउडर और बेबी फूड)	"
21.	रबर कैमिकल्स एंड आक्जीलरीज	"
22.	फोटोग्राफिक कैमिकल एंड आक्जीलरीज	
23	लेदर केमिकल एंड आक्जीलरीज	"
24.	टेक्सटाइल कैमिकल्स एंड आक्जीलरीज	सभी
25.	साबुन और डिटर्जेंट्स घरेलू (साबुन उद्योगों के अलावा)	"
26.	एकल सुपर फास्फेट	"
27	लकड़ी आधारित उद्योग जैसे आरा मिल, प्लाईवुड उद्योग आदि	"
28.	परिवहन वाहनों (कारों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों, ट्रकों तथा अन्य भारी सामान उठाने वाले वाहनों) के उपकरण	"
29.	गैर-परिसंकटमय पदार्थों के लिए भस्मीकरण संयंत्र	"
30.	जल विद्युत शक्ति	
	(क) नई परियोजनाएं	15 मे.वा. तक
	(ख) मिनी पावर हाउस विद्यमान नदी झरनों पर स्थापित किए जाएंगे या विद्यमान बांधों के साथ जो पहले से ही एन्गेजिड पेन स्टाक है	
31.	पूर्णतः गैस आधारित विद्युत संयंत्र	100 मे. वा. तक
32.	कोक ओवन/कार्बोनाइजिंग प्लान्ट	25 मे. वा. तक 50000 टी.पी.ए
33.	ताप विद्युत संयंत्र	25 मे. वा. तक
34.	सीमेंट	200 टी पी डी तक
35.	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (लघु इस्पात संयंत्र)	15,000 टी.पी.ए तक
36.	स्पौंज आयरन	
	(क) कोयला आधारित	30,000 टी.पी.ए तक
	(ख) गैस आधारित	500,000 टी पी ए तक

1	2	3
37.	खुर्दरी खालें और खाल	5,000 खालें प्रतिदिन
38.	मद्य निर्माणशालाएं	150 कि.ली./दिन तक
39	चर्मशोधन	2500 टी पी डी तक
40	कपड़ा	500 मी. प्रतिदिन तक
41.	लुगदी, कागज और अखबारी कागज	33,000 टी. पी. ए. तक
42.	डाइज	5 टी पी डी तक
43.	डाई इन्टरमीडिएट्स	5 टी पी डी तक
44.	थर्मोसिट रेसिन	5,000 टी पी ए तक
45	पेस्टिसाइड्स	500 टी पी डी तक
46	पशु या वनस्पति वसा और तेल तथा आंशिक या सम्पूर्ण हाइड्रोजिनेटिड हिस्से	25 टी. पी ए तक
47.	फाउंडरीज (अलग-अलग)	2 करोड़ रु. के परिव्यय तक
48	समुद्र की उच्च जलरेखा के 500 मी. तथा 1000 मी. के बाद पर्यटन और अन्य परियोजनाएं	1 करोड़ रु. के परिव्यय तक
49	नहर सिंचाई तथा जलाशय बनाना	200 हे. तक
50	खनन	5 हे. तक
51	टार्ड मार्ग (हिमालय तथा वन भूमि में)	5 किमी. ल. तक
52	राष्ट्रीय राजमार्ग	5 किमी. लं. तक
53	राज्य राजमार्ग	
	(क) वन भूमि को शामिल करके	9 किमी. लं. तक
	(ख) वनभूमि के बिना	सभी
54.	औद्योगिक एस्टेट्स	100 यूनिट तक या 20 हे. क्षेत्र जो भी अधिक, हो।
55.	औद्योगिक नगर क्षेत्र	5000 आवासीय इकाइयां या कुल 50 हे. क्षेत्र, जो भी अधिक हो।
56	पत्तन और बन्दरगाह	केवल छोटे पत्तन तथा बन्दरगाह

टिप्पणी : 1 औद्योगिक एस्टेटों में स्थित अलग-अलग इकाई के लिए पृथक रूप से पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं है बशर्ते कि औद्योगिक एस्टेटें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के बाद स्थापित हुई हों तथा वैयक्तिक इकाइयां स्वीकृत पर्यावरण प्रबन्ध योजना के अनुसार स्थापित की जा रही हों।

2 औद्योगिक नगर क्षेत्रों के लिए पृथक पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित नहीं है, बशर्ते कि यह क्षेत्र की वहन क्षमता अध्ययन के अनुसार हो।

3. कैप्टिव पावर प्लांटों पर विकास गतिविधि पर आधारित अनुसूची-1 और 2 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुसूची–3

[पैरा-4 का उप पैरा (iii) (क) देखिए]

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समितियों

की संरचना

1. केन्द्र और राज्य स्तर पर विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन और निर्धारण विशेष समितियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें निम्न प्रकार से गठित प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे :—

1. पारि-प्रणाली प्रबन्ध
2. वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण
3. जल संसाधन प्रबन्ध
4. वनस्पतिजात/प्राणिजात संरक्षण और प्रबन्ध
5. भूमि प्रयोग आयोजना
6. सामाजिक विज्ञान/पुनर्वास
7. परियोजना मूल्यांकन
8. पारिस्थितिकी
9. पर्यावरणीय स्वास्थ्य
10. विषय क्षेत्र विशेषज्ञ
11. गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित लोग

2. अध्यक्ष, सबंधित विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट और अनुभवी पारिस्थितिकी-विज्ञानी अथवा पर्यावरणविद अथवा तकनीकी व्यावसायिक होगा।

3. केन्द्र/राज्य की प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी का प्रतिनिधि सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

4. प्रतिनिधियों के रूप में विशिष्ट रूप से नामित व्यक्तियों को छोड़कर अध्यक्ष और सदस्य वैयक्तिक हैसियत से कार्य करेंगे।

5. किसी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

उपाबन्ध

आवेदन-प्रारूप

(क) प्रस्तावित परियोजना का नाम व पता :

(ख) परियोजना की अवस्थिति :
स्थान का नाम :
जिला : तहसील
अक्षांश/रेखांश :
निकटतम विमान पत्तन/रेल स्टेशन :

(ग) जांच किये गए वैकल्पिक स्थल तथा प्रस्तावित स्थल का चयन करने के लिए :

(घ) क्या यह स्थल स्थानीय भूमि प्रयोग योजना के अनुसार अनुमत्य भूमि प्रयोग के अनुरूप है

2. परियोजना के उद्देश्य

3. (क) अपेक्षित भूमि :
कृषि भूमि :
वन भूमि तथा वनस्पति का घनत्व
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) (1) आवाह क्षेत्र/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में भूमि प्रयोग

(2) क्षेत्र की स्थलाकृति, जिसमें ढाल पहलू और ऊंचाई उपदर्शित

(3) प्रस्तावित भूमि का क्षरण वर्गीकरण

(ग) 10 कि.मी. की परिधि में विद्यमान प्रदूषण स्रोत तथा वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव :

(घ) निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/जीवमंडल आरक्षिति/स्मारकों एतिहासिक स्थलों/आरक्षित वनों से दूरी :

(ङ) उत्खनित/उधार क्षेत्रों के लिए पुनरुद्धार योजना :

(च) हरित पट्टी योजना :

(छ) प्रतिपूरक वनरोपण योजना :

4 जलवायु और वायु गुणवत्ता :

(क) स्थल पर वायु :

(ख) अधिकतम/न्यूनतम/औसत वार्षिक तापमान :

(ग) प्रतिलोमन की आवृत्ति :

(घ) चक्रवातों/तूफानों/बादल फटने की आवृत्ति :

(ङ) परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े :

(च) परियोजना से एस पी एम, गैस (सी ओ, सी ओ एन ओ एक्स, सी एच एन आदि) के उत्सर्जन की प्रकृति और जमाव :

5 जल सन्तुलन :

(क) स्थल पर जल सन्तुलन :

(ख) क्षीण मौसम में जल की उपलब्धता :
जल की आवश्यकता :

(ग) प्रतियोगी उपयोगिताओं सहित दोहन किए जाने वाले स्रोत (नदी, झील, भूमि, सार्वजनिक आपूर्ति)

(घ) जल गुणवत्ता,

(ङ) पिछले 15 वर्षों में भूमि जल की गुणवत्ता और मात्रा में देखे गए परिवर्तन तथा वर्तमान चार्जिंग और निकासी के ब्योरे :

(च) 1. शोधन ब्योरे सहित छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा :

2. ठोस अपशिष्टों के व्ययन से पूर्व और पश्चात् प्रापक निकाय में जल की मात्रा और गुणवत्ता :

3 भूमि पर छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा और भूमि की किस्म :

(छ) 1. आवश्यक आवाह शोधन योजना सहित जलाशय जल गुणवत्ता का ब्योरा

2. कमांड क्षेत्र विकास योजना :

6. ठोस अपशिष्ट :

(क) उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की किस्म और मात्रा :

(ख) ठोस अपशिष्ट निपटान का तरीका :

7 शोर और कंपन :

(क) शोर और कंपन के स्रोत

(ख) परिवेशी शोर स्तर :

(ग) शोर और कंपन नियंत्रण के प्रस्तावित उपाय :

(घ) अवतलन समस्या यदि कोई हो, और उसके नियंत्रण के उपाय :

8. बिजली की आवश्यकता, जिसमें आपूर्ति के स्रोत का उल्लेख हो :

यदि क्षैप्टिक बिजली इकाई लगाने का प्रस्ताव हो तो पूरा पर्यावरणीय ब्यौरा अलग से भेजें।

9. लगाया जाने वाला पीक श्रमिक बल, जिसमें निम्न ब्यौरा दिया जाए :

— अपशिष्ट जल/वायु/मृदा जनित रोगों के कारण क्षेत्र में स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएं।

— विद्यमान और प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

10.क. विस्थापित होने वाले गांवों और लोगों की संख्या

(ख) पुनर्वास वृहत योजना

11. खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट तथा विपदा प्रबन्ध योजना

12. क. पर्यावरणीय प्रभाव —पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट

ख. पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना —समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार

(ग) विस्तृत व्यावहारिकता रिपोर्ट

(घ) विधिवत भरी हुई प्रश्नावली

13. पर्यावरणीय प्रबन्ध कक्ष का ब्यौरा

मैं यह वचन देता हूं कि ऊपर दिए गए आंकड़े और सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का कोई भाग किसी भी समय मिथ्या या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को नामंजूर कर दिया जायगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई हो, को हमारी जोखिम और लागत पर वापस लिया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

(नाम और पूरे पते सहित)

स्थान :

आवेदक जिस संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है उस संगठन की मोहर

टिप्पणी : लागू न होने वाली मदों को काट दें।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 1993

S.O. 80(E).—The following draft of a Notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby;

And notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration on or after the expiry of 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any person interested in filing any objection against the proposed directions contained in this notification, may do so in writing to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi within 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain development activities, thereby engendering not only the destruction of natural resources like forests, mangroves, wetlands, rivers, lakes, genepool reserves and vegetation cover which is fast dwindling in large parts of the country, but also affecting the health and very survival of living beings-both animal and human;

And whereas it is necessary to protect and improve the quality of environment by controlling pollution of air, water and soil along with biotic pressure on natural resources, which is so intense that our natural biological and genetic wealth is threatened with severe damage;

And whereas certain development projects should be carried on within the carrying capacity of the eco-system through judicious location beyond defined distances from eco-systems which will otherwise come under stress, so as to ensure that developmental activity takes place in harmony with the environment and improvement thereof;

And whereas the aforesaid goals can be achieved only by careful assessment of a project proposed to be located in any area. On the basis of an environmental Impact Assessment of each project and the necessary Environment Management Plan for the Prevention elimination or mitigation of the adverse impacts right from the inception stage of the projects;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that on and from the date of the final publication of this notification under clause (d) of Sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the expansion or modernisation of any existing industry or new projects listed in Schedule I or Schedule II shall not be undertaken in any part of India unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government or, as the case may be, the State Government concerned in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification.

2. Any project listed in Schedule II and proposed to be located within 5 (five) kilometres of the boundary of reserve or protected forests, or a designated ecologically sensitive area, or within the safe distance stipulated in the Statement. On Industrial Policy or other policy statements of the Government of India for protection of human settlements or wildlife habitats would also be considered by the State Government according to the guidelines issued by the Central Government.

3. Notwithstanding anything contained in Schedule I or II, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests may review the environmental clearance given to any project by any State Government if a prima facie case against environmental clearance is made out by the affected parties. In all such cases, the matter would be referred by the Ministry of Environment and Forests to a Review Committee comprising of one representative from this Ministry, one representative from the State Government concerned and a maximum of three experts in the fields relevant to the project. The Chairman and the Members of the Review Committee shall be appointed by the Ministry of Environment and Forests. The Committee shall complete its work within the time-schedule as stipulated for the Impact Assessment Agency (IAA).

4. Requirements and procedure for seeking environment clearance of projects :

I(a) Any person who desires to undertake any project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project listed in Schedule-I and II shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, where environmental clearance is required from the Central Government or to Environment Secretary of the State Government concerned, where the environmental clearance is required from the State Government. The application shall be made in the proforma appended to this notification and

shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment & Forests from time to time.

(b) Cases rejected by the State Government or the Central Government due to submission of insufficient or inadequate data and Action Plans may be reviewed as and when submitted with complete data and Action Plans. Submission of incomplete data for the second time would itself be a sufficient reason for the Impact Assessment Agency to reject the case summarily.

II. In case of the following site specific projects .

(a) mining;

(b) pit-head thermal power stations;

(c) hydro-electric power projects;

(d) multi-purpose river valley projects; and

(e) ports and harbours;

the project authorities will intimate the location of the project site to the Central Government in the Ministry of Environment & Forests or the State Government concerned depending on whether the project is covered under Schedule-I for Schedule-II respectively while initiating any investigation and surveys. The concerned agency at the Centre or the State will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of three months. The said site clearance will be granted for a sanctioned capacity and will be valid for a period of five years for commencing the construction.

III. (a) The detailed feasibility report submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency at the Central Government or, as the case may be, at the State Government in consultation with a Committee of Experts, having a composition as specified in Schedule-III of this notification.
The Impact Assessment Agency (IAA) would be the Union Ministry of Environment and Forests and in the case of State Government concerned the Department of Environment and/or Pollution Control Board. The Committee of experts mentioned above shall be constituted by the IAA concerned.

(b) The said Committee of Experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during, or after the commencement of the operations relating to the project.

(c) The Impact Assessment Agency will prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data, furnished by the project authorities supplemented by data collected during visits to sites or factories and interaction with affected population and environmental groups Detailed feasibility reports, Environmental Management Plans, the recommendations and the conditions subject to which environmental clearance is given shall be made available to the concerned parties on request. Comments of the public may be solicited in public hearings arranged for the purpose after giving one month notice of such hearings in at least two newspapers. Public shall be provided access to the project reports and Environmental Management Plans at the agency headquarters. The assessment shall be completed within a period of three months on receipt of the requisite documents and data from the project authorities and decision conveyed within a maximum 20 days thereafter No work preliminary or otherwise relating to the setting up of the project may be undertaken till the environmental site clearance is obtained.

IV. In order to enable the Impact Assessment Agency concerned to monitor effectively the implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half-yearly report to the concerned agency. Impact Assessment Agency will make compliance reports publicly available.

5. Concealing factual data or submission of false, misleading data/reports, decisions or recommendations would lead to the project being rejected. Approval, if granted earlier on the basis of false data, would also be revoked. Misleading and wrong information will cover the following :

— False information.
— False data.
— Enigneered reports.
— Concealing of actual data.
— False recommendations or decisions.

[No. Z-12013/4/89/IA-I]

R. RAJAMANI, Secretary (E&F)

SCHEDULE-I

(See paras 1 and 4)

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Nuclear Power and related projects such as Heavy water plants, nuclear fuel complex, rare earths etc.
2. Multi-purpose River valley projects.
3. Ports, Harbours and Air ports, (except minor ports and harrbours)
4. Railway line (involving acquisition of non-railway land) including underground Railways.
5. Petroleum Refineries including crude and product pipeline and storage of petroleum products.
6. Chemicals Fertilizers (Nitrogencous and Phosphatic) other than single superphosphate.
7. Pesticides (Technical).
8. Petrochemical complexes (both Olefinic and Aromatic), and Petrochemical intermediates such as DMT Caprolactum LAB etc. and Production of basic plastics such as LLDPE, HPDE, PP, PVC etc.
9. Industrial explosives including detonating fuse, safety fuse, gun powder nitrocellulose, Electric detonators.
10. Drugs and Pharmaceuticals (Basic and Bulk)
11. Exploration for oil and gas and their production, transportation and storage.
12. Synthetic rubber.
13. Asbestos and Asbestos products.
14. Hydrocyanic acid and its derivatives.
15. Primary metallurgical industries (such as production of Iron and Steel, Aluminium, Copper, Zinc Lead and Ferro Alloys)
16. Pneumatic tyres and tubes of rubber used in buses and trucks, air crafts, jeeps, motor cars, tractors and of the road vehicles.
17. Chlor alkali industry.
18. Integrated paint complex including manufacture of resins and basic raw materials required in the manufacture of paints.

19. Man made fibres/filament yarn.

20. Storage batteris integrated with manufacture of oxides of lead and lead antimony alloy.

21. Incineration plant for hazardous waste and chlorinated hydrocarbon.

22. All Tourism projects between 200 m-500 meters of High Water Line and at locations with an elevation of more than 1000 meters.

23. Commercial forestry and forest based industries at locations above 1000 meters.

24. All projects with threshold criteria above those specified in Schedule-II.

SCHEDULE-II

(See paras, 2, 3 and 4)

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE STATE GOVERMMEMT

Sl. No.	Name of the Project/Industry	Threshold Criteria (If any) above which it shall be appraised by Central Government (Capacity/Area/ Length etc.)
1	2	3
1.	Briquetting	All sizes
2.	Coal washeries	-do-
3.	Ceramic products	-do-
4.	Calcium Carbide	-do-
5.	Carbon black	-do-
6.	Coal tar chemicals	-do-
7.	Electroplating and Galvanising	-do-
8.	Glass and Glasswares	-do-
9.	Graphite Electrodes	-do-
10.	Engineering (Tubings, casting, Rolling Mills)	-do-
11.	Refractories	-do-
12.	Pipes (RCC, Steel and Seamless)	-do-
13.	Re processing of Lubricating Oils	-do-
14.	Storage batteries (nonlead processing).	-do-
15.	Alkalies (Soda ash and Calcium Carbonate)	-do-
16.	Pneumatic tyres and tubes of rubber used in Motorcycles, scooters, Mopeds, cycles and cycle Rickshaws.	-do-
17.	Retreading of all types of tyres (excluding cold processiong)	-do-
18.	Paints, Pigments and Varnishes	-do-
19.	Food processing (Processing of meat and Marine animals.)	-do-
20.	Milk products (Skimmed milk, condensed milk, milk powder and Baby food).	-do-
21.	Rubber chemicals and auxilliaries	All sizes
22.	Photographic Chemicals and auxilliaries	-do-
23.	Leather chemicals and auxilliaries.	-do-
24.	Textile chemicals and auxilliaries	-do-
25.	Soaps and detergents (Except cottage soap industries)	-do-
26.	Single superphosphate	-do-
27.	Wood based industry such as saw mills, plywood etc.	-do-
28.	Transport equipments (Cars, Scooters, Motor cycles, Trucks, and other heavy duty vehicles)	-do-
29.	Incineration plant for non-hazardous waste.	-do-
30.	Hydro-electric power	
	(a) New projects	upto 15 MW
	(b) All power houses to be located an existing canal falls or existing dams with already embedded penstocks.	upto 15 MW
31.	Fully Gas Based power plants	upto 100 MW
32.	Coke Ovens/ Carbonising plant	50000 TPA
33.	Thermal power plants	upto 35 MW
34.	Cement	upto 200 TPD
35.	Electric Arc furnaces (mini steel plant)	upto 150000TPZ
36.	Sponge Iron	
	(a) Coal based	upto 30000 TPA
	(b) Gas based	upto 500000TPA
37.	Raw skins and Hides	upto 5000 skins per day
38.	Distilleries	upto 150 KL/Day
39.	Sugar	upto 2500 TP
40.	Textiles	upto 500 metres per day
41.	Pulp, paper and Newsprint	upto 33000 TPA
42.	Dyes	upto 5 TPD
43.	Dye intermediates	upto 5 TPD
44.	Thermoset resins	upto 5000 TPA
45.	Acids	upto 500 TPD
46.	Animals or vegetables fats oils and their fractions partly or wholly hydrogenated.	upto 25 TPD
47.	Foundries (Individual)	upto Rs. 2 crores of outlay
48.	Tourism projects between 500m. and 1000m. of high water line and not specified in Schedule-I.	upto Rs. 1 crore of outlay.
49.	Canal irrigation and reservoir creation.	Upto 2000 ha.
50.	Mining	Upto 5 ha.

51. Tarred roads (in Himalayas and and forest land).	upto 5 kms length
52. National Highways	upto 5 kms length
53 State Highways	
(a) Involving forest land	upto 5 kms length
(b) Not involving forest land	All lengths
54. Industrial estates	upto 100 units or 20 ha, area whichever is more
55 Industrial Townships	upto 5000 dwelling units or a total area of 50 ha. whichever is more.
56 Ports and Harbours	Minor Ports and Harbours only.

NOTE :

1 No separate environmental clearance is required for individual units located in Industial Estates provided the Industrial Estates are set up after EIA and individual units are being set up as per approved Environment Management plan.

2 No separate Environmental clearance is required for Industrial Townships provided it is as per the carrying capacity study of the area

3) Captive power plants should be dealt either as schedule-I or II depending on the development activity.

SCHEDULE - III

(See sub-para III (a) of Para 4)

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

1. The evaluation and assessment of development projects at the Central or State level will be undertaken by Expert Committees consisting of experts in each discipline constituted as under :

(i) Eco-Systems Management

(ii) Air/Water Pollution control

(iii) Water Resource Management

(iv) Flora/fauna conservation and management

(v) Land Use Planning

(vi) Social Sciences/Rehabilitation

(vii) Project Appraisal

(viii) Ecology

(ix) Environmental Health

(x) Subject Area Specialists

(xi) Representatives of NGOs/persons concerned with environmental issues.

2. The Chairman will be an outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical Professional in the relevant development sector.

3. The representative of Impacts Assessment Agency/ Central/State will act as a Member-Secretary.

4. Chairman and Members will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.

5. The Membership of a Committee shall not exceed 15.

ANNEXURE

(See Sub-para I(a) of Para 4)

APPLICATION FORM

1.(a) Name and Address of the project proposed:

(b) Location of the projects:
Name of the place
District, Tehsil s
Latitude/Longitude .
Nearest Airport/Railway Station.

(c) Alternate sites examined and the reasons for selecting the proposed site;

(d) Does the site conform to stipulated land use as per local land use plan

2 Objectives of the project :

3 (a) Land Requirement:
Agriculture Land :
Forest land and Density of vegetation
Other (specify) :

(b) (i) Land use in the Catchment/within 10Kms radius of the proposed site:

(ii) Topography of the area indicating gradient aspects and altitude :

(iii) Erodability classification of the proposed land:

(c) Pollution sources existing in the 10km. radius and their impact on quality of air, water & land.

(d) Distance of the nearest National Park/Sanctuary/ Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/ Reserve Forest:

(e) Rehabilitation plan for quarries/borrow areas

(f) Green belt plan

(g) Compensatory afforestation plan:

4. Climate and Air Quality :

(a) Wind rose at site.

(b) Max, Min /Mean annual temperature

(c) Frequency of inversion.

(d) Frequency of cyclones/tornades/cloud bursts

(e) Ambient air quality data .

(f) Nature & concentration of emission of SPM, Gas (CO, CO_2, SO_2, NO_X, CH_n etc.) from the project.

5 Water balance

(a) Water balance at site:

(b) Lean season water availability
Water Requirement:

(c) Source to be tapped with competing users (River, lake, Ground, Public supply):

(d) Water quality:

(e) Changes observed in quality & quantity of ground water in the last 15 days years and present charging & extraction details:

(f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details:

(ii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of solid wastes:

(iii) Quantum of waste water to be released on land and type of land:

(g) (i) Details of reservoir water quality with necessary catchment Treatment Plan:

(ii) Command area Development Plan :

6. Solid wastes:

(a) Nature & quantity of solid wastes generated:

(b) Solid waste disposal method:

7. Noise and Vibrations:

(a) Sources of noise & Vibrations:

(b) Ambeint noise level:

(c) Noise & Vibration control measures proposed:

(d) Subsidence problem if any with control measures.

8. Power requiremnt indicating source of supply:
Complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:

9. Peak labour force to be deployed giving details of:
Endemic health problems in the area due to waste water/air /soil borne diseases:
Health care system existing and proposed

10.(a) Number of villages & population to be displaced.

(b) Rehabilitation Master Plan.

11 . Risk assessment report and Disaster Management Plant.

12.(a) Environmental Impact Assessment Report } Prepared as per guidelines of MEF issued from time to time'.
(b) Environmental Management Plan. }
(c) Detailed Feasibility Report:
(d) Duty filled in questionare

13. Details of Environmental Managemet Cell.

I hereby give an undertaking that the data and information given above are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data/information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project be rejected and the clearance given, if any, to the project is likely to be revoked at our risk and cost.

Signature of the applicant
with name and full address.

Date:

Place:

Given under the seal of Organisation on behalf of whom the applicant is signing.

N.B.Delete which is not applicable

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993